कृषि निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची

पत्रांकः 04/कृ0नि0/कीटनाशी/02/2014 1247 रॉंची/दिनांकः 21.3.16

147

प्रेषक,

जटा शंकर चौधरी (भा0प्र0से0)
कृषि निदेशक,
झारखण्ड, रॉंची।

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक (सभी)
उप कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, रॉंची
जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)
अनुमण्डल–सह–जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)

विषयः कीटनाशी विनिर्माण/पेस्ट कन्ट्रोल आपरेशनस/व्यवसाय/भंडारण अनुज्ञप्ति शुल्क की नई दर 03.02.2016 से लागु होने के संबंध में।

प्रसंगः संयुक्त सचिव, भारत सरकार का पत्रांक–21/08/1999–PP.I दिनांक–03.02.2016 एवं जी0एस0आर0–371 (ई0) दिनांक–20.05.1999

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत सरकार ने कीटनाशी रजिस्ट्रेशन/विनिर्माण/पेस्ट कन्ट्रोल आपरेशनस/व्यवसाय/भंडारण अनुज्ञप्ति शुल्क की नई दर दिनांक 03.02.2016 से संसूचित/लागू किया है। उक्त दर दिनांक 03.02.2016 को अथवा उसके बाद निर्गत किये जाने वाले सभी अनुज्ञप्तियों पर लागू माना जायेगा एवं तद्नुरूप शुल्क यदि कम जमा कराया गया है तो शेष राशि अनुज्ञप्तिधारियों से जमा करा लिया जाय। सुलभ प्रसंग हेतु भारत सरकार का प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः 1247 रॉंची/दिनांकः 21.3.16

प्रतिलिपिः सभी कीटनाशी कम्पनियों/विक्रेता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः 1247 रॉंची/दिनांकः 21.3.16

प्रतिलिपिः कनीय सूचना पदाधिकारी, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः 1247 रॉंची/दिनांकः 21.3.16

प्रतिलिपिः निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, रॉंची/निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, रॉंची/निदेशक, समेति, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः 1247 रॉंची/दिनांकः 21.3.16

प्रतिलिपिः सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ समर्पित।

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, रॉंची।

Xerox/Daily Use P-77

No. 21-8/1999-PP.I

Government of India

Ministry of Agriculture & Framers Welfare

Department of Agriculture, Cooperation& Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi.

Dated: 3rd February, 2016

DIRECTIONS

Whereas the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) published draft Rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, vide notification in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), No. GSR 379 (E) dated 06.07.1998. The draft rules proposed the revision of fees for registration, appeals, manufacture, sale, stock or exhibit for sale and distribution of insecticides, etc.

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 17th July, 1998. Objections and suggestions received from the public in respect of the said notification were duly considered;

Thereafter, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, amended the said rules vide notification No. 371 (E) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) published on 20th May, 1999.

And whereas, the Insecticides (Amendment) Rules, 1999 were challenged in various High Courts of the Country. The High Court of Gujarat had stayed the implementation of the said rules relating to revision of fees till the disposal of the case. Hence the Rules for relating to revision of fees were not implemented from date of issue of the said notification.

And whereas, thereafter Hon'ble High Court of Gujarat , has issued direction through an interim order dated 03.03.2015 in Letters Patent Appeal No.

503 of 2013 in SCA No. 5303 of 1999 filed by the Gujarat Pesticides Formulator's Association that the representation submitted by the Association be disposed of within a period of 6 months.

And whereas, after obtaining the views of Director (Agriculture) of State/UT's, the matter was considered in this Department. Now therefore, having given due consideration to such representations, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 34 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), convey the following directions to the State Governments/UTs and Registration Committee:-

"The provisions related to revision of fees, notified vide GSR 371 (E) dated 20.05.1999 under rules 6A, 6B, 6 (2), 7 (3), 9(1), 9 (5), 10 (2), 10 (3A) (i), 10 (6) and 11 (b) (i) and 14(2) shall be applicable from the date of issue of theses directions".

(Utpal Kumar Singh)
Joint Secretary to the Government of India

To

The Directors of Agriculture,
All State Governments and Union Territory Administrations

Copy to:

1. Dr. S. N. Sushil, PPA, DPPQS, Faridabad.
2. B.S. Phogat, APPA & Secretary (CIB &RC).
3. All Pesticides Associations.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 20, 1999/वैशाख 30, 1921
No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 1999/VAISAKHA 30, 1921

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई, 1999

सा.का.नि. 371 (अ).—कीटनाशी अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए एक प्रारूप, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड3, उपखंड (ii) तारीख 6 जुलाई, 1998 के अधीन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 379 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1998 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिनों की अवधि के समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र 17 जुलाई, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दिए गए थे;

और उक्त प्रारूप के प्रकाशन से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड

से परामर्श करने के पश्चात कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(द) 'वाणिज्यिक नाशक जीव नियंत्रण संक्रिया' से अभिप्रेत है घरों या पब्लिक या प्राइवेट परिसरों या भूमि सहित उनमें कीटनाशियों का उपयोजन या धूमकों द्वारा उन्हें तितर-बितर करना, जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में हवाई छिड़काव करके नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं करना भी है किन्तु उसका निजी उपयोग करना नहीं है;

(ध) 'नाशक जीव नियंत्रण आपरेटर' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं हाथ में लेता है और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म या कम्पनी या कोई ऐसा संगठन भी है जिसके/जिनके नियंत्रण में ऐसा कोई व्यक्ति संक्रिया कर रहा है ।".

3. उक्त नियम के नियम 6 में:-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) रजिस्ट्रीकरण फीस के लिए फरीदाबाद पर संदाय लेखा अधिकारी, पौध संरक्षण, करंतीन और भंडागार निदेशालय के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सहित सम्यक रूप से भरा गया आवेदन सचिव, रजिस्ट्रीकरण समिति, पौध संरक्षण, करंतीन और भंडागार, राष्ट्रीय राजमार्ग-4 फरीदाबाद-121001 हरियाणा को भेजा जाएगा । फीस निम्नानुसार संदेय होगी:-

(i) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) और 9(3क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के प्रत्येक मामले में पांच हजार रुपए;

(ii) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के मामले में दो हजार पांच सौ रुपए ।

— — ——

(ख) उपनियम (6क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(6क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करना--यदि मूल रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र, विरूपित हो जाता है, नष्ट हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसकी दूसरी प्रति के लिए लेखा अधिकारी, पौध संरक्षण, करंतीन, भंडागार निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के पक्ष में, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त किए गए एक सौ रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में फीस संदत्त की जाएगी ।"

(ग) इस प्रकार संशोधित नियम (6क) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा :-

"(6ख) लेबल और पर्चों सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में वर्धन, लोप या परिवर्तन करना - प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक रजिस्ट्री करण प्रमाण-पत्र में उसके लेबलों और पर्चों सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में वर्धन, लोप या परिवर्तन के लिए पौध संरक्षण, करंतीन और भंडागारण निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, फरीदाबाद से प्राप्त किए गए एक सौ रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में फीस संदत्त की जाएगी ।"

(4) उक्त नियम के नियम 7 में,-

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) प्रत्येक अपील के साथ फीस के लिए एक सौ रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट और उस निर्णय की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, होगी ।"

(ख) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(4) अपील के लिए फीस, वेतन और लेखा अधिकारी, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली से प्राप्त मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदेय होगी ।"

5. उक्त नियम के नियम 9 में -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) किसी कीटनाशी के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूरी करने या नवीकरण के लिए आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप 3 या प्ररूप 4 में अनुज्ञापन अधिकारी को किया जाएगा और उसके साथ प्रत्येक कीटनाशी के लिए दो हजार रुपए और सभी कीटनाशी के लिए अधिकतम तीस हजार रुपए की फीस होगी जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जाता है;

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"(5) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की, यदि मूल अनुज्ञप्ति विरूपित, नष्ट या खो जाती है तो उसकी दूसरी प्रति के लिए एक सौ रुपए की फीस का संदाय किया जाएगा ।"

6. उक्त नियम के नियम 10 में --

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन संदेय फीस ऐसे प्रत्येक कीटनाशी के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है, पांच सौ रुपए होगी । यदि किसी कीटनाशी को एक से अधिक स्थानों पर विक्रय, स्टाक या प्रदर्शित करना है तो प्रत्येक स्थान के लिए पृथक फीस होगी;

परन्तु घरेलू प्रयोजनों के लिए सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले और उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कीटनाशी की बाबत प्रत्येक स्थान के लिए अधिकतम फीस सात हजार पांच सौ रुपए होगी ।

परन्तु यह कि यदि विक्रय का स्थान ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया गया है तो फीस इस नियम में विनिर्दिष्ट फीस के पांचवा भाग होगा ।

(ख) उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (3क) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3क) जैवनाशक जीव नियंत्रण आपरेटर --(i) कोई व्यक्ति जो अल्यूमिनियम फास्फाइड, मिथायल ब्रोमाइड, मिथेलीन डाईब्रोमाइड या यथा अधिसूचित, का उपयोग करते हुए जैवनाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं करने की वांछना करता है तो वह संक्रिया के प्रत्येक स्थान के लिए एक हजार रुपए की फीस के साथ प्रारूप 6क में आवेदन करेगा । ऐसी संक्रियाओं के लिए मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगी परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्ररूप 6ख में आवेदन किए जाने पर उसके सत्यापन या निरीक्षण किए जाने के पश्चात् आवेदन के साथ एक हजार रुपए की फीस के साथ और पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा ।

(iii) नाशक जीव नियंत्रण आपरेटरों के लिए कीटनाशियों का स्टाक और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रारूप 6ग में जारी की जाएगी;

(iii) कोई व्यक्ति जो नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं लेने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन करता है तो उसे कृषि या विज्ञान में रसायन विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, साथ ही उसके पास निम्नलिखित संस्थाओं में कम से कम पन्द्रह दिन का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए:-

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर;

भारतीय अनाज भंडारण संस्थान, हापुड़; राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ।

(iv) धूमकरण करने के लिए नाशक जीव नियंत्रण आपरेटरों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी । पौध संरक्षण सलाहकार रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया और सिद्धांतों के अनुसार ऐसी अनुमति मंजूर करेगा;

(v) वाणिज्यिक नाशक जीव नियंत्रण आपरेटर, उनके द्वारा धूमकरण संक्रियाएं करने की बाबत भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा अधिकथित विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ।

(ग) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(6) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की, यदि मूल अनुज्ञप्ति विरूपित, नष्ट या खो जाती है तो उसकी दूसरी प्रति के लिए एक सौ रुपए की फीस का संदाय किया जाएगा ।"

7. उक्त नियम के नियम 11 में --

(i) उपखंड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(ii) कीटनाशियों के विनिर्माण या नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के मामले में पहले मास या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपए, दूसरे मास या उसके भाग के लिए एक हजार रुपए और तीसरे मास या उसके भाग के लिए एक हजार पांच सौ रुपए;

(iii) किसी अन्य अनुज्ञप्ति के मामले में नवीकरण के आवेदन के साथ पहले मास या उसके भाग के लिए एक सौ रुपए, दूसरे मास या उसके भाग के लिए दो सौ रुपए और तीसरे मास या उसके भाग के लिए तीन सौ रुपए संदत्त किए जाएंगे;

परन्तु यह कि जहां मुख्य नाशक जीव नियंत्रण संक्रिया एक या विक्रय का स्थान ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है वहां देय-फीस, उक्त देय-फीस का पांचवां भाग होगा;

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति धारी की मृत्यु या नि:शक्तता होने की दशा में अनुज्ञापन अधिकारी लिखित में कारणों को अभिलेख करने के पश्चात आवेदक को देय-फीस के संदाय से छूट दे सकेगा ।"

(2) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसे नवीकृत या प्रति संहरित नहीं किया जाता । जहां धारा 15 के अधीन कोई अपील की जाती है वहां अनुज्ञप्ति का प्रति संहरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता या अपील के लम्बित निपटारे के लिए अपील प्राधिकारी द्वारा जैसा आदेश दिया जाये ।"

8. उक्त नियम के नियम 14 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ एक सौ रुपए की फीस होगी ।"

9. उक्त नियम की पहली अनुसूची में प्ररूप 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप 6क

[नियम 10(3क) देखिए]

वाणिज्यिक नाशक जीव नियंत्रण संक्रिया (संक्रियाओं) के लिये निर्बन्धित कीटनाशियों (कीटनाशियों) के स्टाक और उपयोग की अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिये आवेदन ।

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

---

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)----------

2. पता ----------

(1) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय----------

(2) आंचलिक कार्यालय----------

(3) वे परिसर जिसके लिये आवेदन किया गया है----------

3. क्या आवेदक पहले से ही कारोबार में है या नवागंतुक है----------